कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

र्थी नारायण व अन्य
स्म मुकदमा धारा–188 आर.टी.ए.

विपक्षी वागला व अन्य
प्रकरण संख्या 01/2018

	कार्यवाही विवरण	
–07–2024	**उपस्थितः–** श्री प्रकाश कुमार चौबिसा –अधिवक्ता वादीगण एक पक्षीय – प्रतिवादीगण **::निर्णय::** वादी के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न है कि मौझा जोधपुरकंला पटवार क्षेत्र जोधपुर खुर्द तह. सलूम्बर में वांदी की संयुक्त खातेदारी, काश्तकारी की कृषी आराजीयात स्थित है जो खाता संख्या नया 59 पुराना 58 में कुल किता 23 रकबा 55.32 हेक्टर से दर्ज है जिसमें वादी एवं उसकी माता सुरज कुँवर का 1/2 हिस्सा हैं, चन्दनसिंह पिता कल्याण सिंह का 1/4 हिस्सा हैं, विरमदसिंह, भोपालसिंह पिता देवीसिंह, गमेर कुँवर बेवा देवीसिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है एवं जो सभी की संयुक्त पारिवारिक सम्पति हैं, जिसमे आ.न. 545 रकबा 20.30 हेक्टर एवं आ.न. 550 रकबा 10.70 हेक्टर भी वादी के संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त से दर्ज है। यह कि प्रतिवादीगण मिलकर वादी एवं अन्य सहखातेदारों पर दबाव डालकर उन्हें जान से मारने की धमकिया देकर तथा झूठेमुकदमे में फसाने की धमकिया देकर तथा पुरे गाँव में अकेले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का तथा अल्पसंख्या में मौजुद राजपुतो के मकान होने का फायदा उठाकर जबरन बलपूर्वक उक्त वर्णित आ.न. 545, 550 रकबा 31.00 हेक्टर पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, इसी प्रकार प्रतिवादीगणो ने जबरन बलपूर्वक गत वर्ष भी उक्त कृषी आराजीयात पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास किया था और जो बात कलेक्टर महोदय तथा अन्य अला अधिकारियो तकपहुंची थी उसके बाद माननीय तहसीलदार साहब सलूम्बर ने दिनांक 16–08–2012 को स्वयं मौके पर जाकर तमाम प्रतिवादीगणो को उक्त भूमी पर अतिक्रमण एवं कब्जा नही करने बाबत् पाबन्द किया था एवं उसके बाद शांती कायम हुई थी परन्तु पुनः बारिश का मौसम आ रहा है तथा तमाम प्रतिवादीगण बलपूर्वक वादी की उक्त खातेदारी भूमी को बलपूर्वक हडपने पर आमदा हैं एवं दिनांक 09–06–2013 को उक्त वर्णित भूमी में अनाधिकृत प्रवेश कर हल जोतने का प्रयास किया जिस कारण प्रतिवादीगणो के विरूद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत है साथ ही विपक्षीगणो को शिघ्र से शिघ्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना भी आवश्यक होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत हैं। अतः आप श्रीमान् से सानुरोध निवेदन हैं कि प्रतिवादीगणो को इस वावत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ये वादी की उक्त आराजी नं. 545, 550 पर किसी प्रकार से दखलन्दाजी, अतिक्रमण, नुकसान आदि न तो स्वयं करे न ही अपने घरिजनो, एजेन्टो अथवा नोकरो के माध्यम से करावें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण ने नं तो जवाब पेश किया ना ही पेशी पर हाजिर रहे जिस कारण से प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय	

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही की गई। पत्रावली मे प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश नही करने से पत्रावली मे तनकीयात नही बनाई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन मे गवाह पी.डब्ल्यू. 1 नारायणसिंह, पी.डब्ल्यु. 2 मानसिंह का शपथपत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श 1 हाल जमाबंदी खाता सं. 59, प्रदर्श 2 तहसीलदार रिपोर्ट पेश की।

वकील वादी ने बहस करतें हुए वादपत्र को दोहराया एंवं निवेदन किया कि वादीगण वाद वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है पूरा गांव एक तरफ है तथा मुझे बेदखल करते रहते है अतः जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगणो को पाबन्द फरमाया जावे कि ये वादी की उक्त आराजी नं. 545, 550 पर किसी प्रकार से दखलन्दाजी, अतिक्रमण, नुकसान आदि न तो स्वयं करे न ही अपने परिजनो, एजेन्टो अथवा नोकरो के माध्यम से करावें।

वादी की एक पक्षीय बहस सुनने के बाद मैने पूरी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं वादी का वादपत्र एवं वादी गवाह के कथनो एवं वादी द्वारा पेश दस्तावेजा को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रदर्श 2 तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि सिलीग मे आवाप्त ग्राम जोधपुर कला के ख.नं. 136/2 रकवा 108 बीघा 16 बिस्वा भूमि का निर्णय खारीज होने के पश्चात् इस भूमि का सिवाचक दर्ज होने का ना.सं. 39 दिनांक 31–10–71 को स्वीकृत किया एवं अमलदरामद भी रोका गया जिसे निर्णयोपरान्त निरस्त की कार्यवाही नही की गई साथ ही आराजी नम्बर 136/2 रकबा 108 वीघा 16 बिस्वा भूमि मे कृषको को आवंटन पट्टे जारि किये गये जिनको निरस्त की कार्यवाही प्रस्तावित नही की गई है। जिससे उक्त वादग्रस्त भूमि मे कई सारे विधि के प्रश्न व तथ्य निहित है। जिसका समाधान न्यायालय उक्त वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा मे होना नही पाता है।

—::आदेश::—

अतः वादीगण का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला-सलूम्बर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 31/2013 रा.वा.

1. नारायणसिंह पिता प्रतापसिंह जी राजपुत आयु बालिग निवासी जोधपुर कंला तह. सलूम्बर जिला उदयपुर (राज.)।

विरूद्ध

1. वागला पिता देवजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
2. दलीयाजी पिता गांगलाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
3. भेरीया पिता मावंलाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
4. मानीया पिता कालीया मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
5. वगता पिता हीरीयाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
6. गोतिया पिता कमलाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
7. रामला पिता हीरीयाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
8. शकरीया पिता हरजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
9. होलीया उर्फ ओमप्रका"ा पिता मावलाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
10. भेरीया पिता कानीयाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
11. रकबा पिता मावाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
12. भेरीया पिता लिम्बाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
13. लक्ष्मणलाल पिता होलीयाजी उर्फ ओमप्रकाश मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
14. दामला पिता भेरीयाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
15. प्रकाश पिता दामलाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
16. पेमा पिता रकबाज़ी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला. गमेती
17. शकरीया पिता रकबा मीणा (नाथुजी) मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
18. नाथुलाल पिता रकबाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
19. केसीया पिता रकबाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
20. पेपीया पिता मानीयाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला गमेती
21. मानीया पिता पदमाजी मीणा निवासी जोधपुरकंला जोगतफला
22. परता पिता लालीयाजी मीणा निवासी जोधपुरकंला जोगतफला
23. राया पिता नारीयाजी मीणा निवासी जोधपुरकूला जोगतफला
24. भामला पिता रतनाजी मीणा निवासी जोधपुरकंला जोगतफला
25. बाबरीया पिता रतनाजी मीणा निवासी जोधपुरकला जोगतफला
26. शंकरीया पिता रतनाजी मीणा निवासी जोधपुरकंला जोगतफला
27. नाथीया पिता रोडियाजी मीणा निवासी जोधपुरकंला जोगतफला
28. साचिया पिता भगानाजी भीणा निवासी जोधपुरकंला जोगतफला
29. कालीया पिता नारीयाजी मीणा निवासी जोधपुरकंला जोगतफला
30. मावला पिता डायाजी भीणा निवासी जोधपुरकला जोगतफला
31. केसीया पिता वजीयाजी मीणा निवासी जोधपुरकंला जोगतफला
32. बाबुलाल पिता लालीयाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला धोवनीया
33. हरजीया पिता लालीयाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला धोवनीया
34. शकरीया पिता लालीयाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला धोवनीया
35. धुलीया पिता लालीयाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला धोवनीया
36. भेरीया पिता दामलाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला धोवनीया
37. रामला पिता मोतीयाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला धोवनीया
38. केसीया पिता मोतीयाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला धोवनीया
39. राजीया पिता नाथीयाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला धोवनीया
40. रामला पिता नाथीयाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द फला धोवनीया
41. उदीया पति सापलाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द बोर
42. लोगरा पिता सापलाजी मीणा निवासी जोधपुर खुर्द बोर
43. भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)

—प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर सलू
जिला सलूम्बर

Scanned with OKEN Scanner

वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक: 24–07–2024

उपस्थितः– श्री प्रकाश कुमार चौबिसा –अधिवक्ता वादीगण
एक पक्षीय – प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश कुमार चौबिसा एवं प्रतिवादीगण की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 24–07–2024 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि दावा वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर मलूम्बर
जिला मलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	06	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	2	–
2 शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3 इन्डर्सो के लिए स्टाम्प	–	–	प्लीडर की फीस	–	–
4 रूबरू पर लीडर की फीस	–	–	साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6 कमिश्नर की फीस (तलबाना)	–	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7 आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	08	–	योग	2	–

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर मलूम्बर
जिला मलूम्बर

Scanned with OKEN Scanner